

फर्द अहकाम

बनाम *अरुण कुमार*

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
केस संख्या *88/2013*

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

22-3-18

वकील उमप्रपक्ष उफ। गत आर्डेरकी पालना के दिनांक 19-4-18 को पेश हो

अरुण
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

19-4-18

वकील उमप्रपक्ष उफ गत आर्डेरकी पालना के दिनांक 26-4-18 को पेश हो

अरुण
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

26-4-18

वकील प्रतिवादीगण उपखण्ड न्यायिक इच्छान्त पेश करने को अग्रत पाया जावली दिनांक 04-6-18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

04-6-18

जावली राजीस्य लगे अदालत न्याय आपके उर 2018 केस कोट वापस के पेश हुई जादिपा गण की रफ्त ह कोइ उपरीपत रही आपा वकील प्रतिवादीगण की धन 2018 मुर्त ने उपरीपत होकर Not press plead किया। प्रकारण श्वारिज किया गनारही जावली

Not Press Plead

अरुण
(अग्रत मुर्त)
उर 2018
(अधिकारी) उपखण्ड



फर्द अहकाम

कोयल देवीका नाम
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)


रु ५५०००/- का
दावा

४४/२०१३

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

कोयल देवीका द्वारा दायित्व
दावा के निर्णय में
१ आठ के रूप में
सुनाया गया।


पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)



71
5
72
82